



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226411
CG-DL-E-08042021-226411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1366]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1366]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ. 1477(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट यू। नगर उत्तराखंड (NH121) के कि.मी 1.9 से 2.79 उत्तराखंड राज्य के तक के पेन्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH121 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	उप समाहर्ता	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH121 के कि.मी. 1.9 से 2.79 तक	उत्तराखंड	ऊधम सिंह नगर	काशीपुर	<table><tr><td>1</td><td>कचनाल गाजी</td></tr><tr><td>2</td><td>नीझड़ा</td></tr></table>	1	कचनाल गाजी	2	नीझड़ा
					1	कचनाल गाजी				
2	नीझड़ा									

[फा. सं. RO/UK/ROB/HALD]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1477(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 1.9 to 2.79 of office District Magistrate u.s nagar uttarakhand (NH121) in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH121 in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	dpty collector	1.9 KM To 2.79 KM	UTTARAKHAND	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	<table><tr><td>1</td><td>Kachnal Gazi</td></tr><tr><td>2</td><td>Neejhra</td></tr></table>	1	Kachnal Gazi	2	Neejhra
1	Kachnal Gazi									
2	Neejhra									

[F. No. RO/UK/ROB/HALD]

RAJESH GUPTA, Director